

मध्य प्रदेश शासन
गृह सामान्य विभाग

क्रमांक: 4-2/90/दो-ए॥3॥
प्रति,

भोपाल, दिनांक 3-10-90

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल,
समस्त सभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष
मध्य प्रदेश ।

विषय:- नर्सों को ब्लू केप का प्रदाय ।


-0-

इस विभाग के ज्ञापन क्रमांक 2198-सीआर-116/दो-ए॥3॥ दिनांक
18 मई, 1964 के आयटम क्रमांक 49 में निम्न संशोधन किया जाता है ---

"स्वास्थ्य विभाग की नर्सों को "ब्लू केप" के स्थान पर ब्लू रंग के
ऊनी स्वेटर का प्रदाय किया जावे "

2/ इससे संबंधित व्यय की पूर्ति संबंधित विभाग के स्वीकृत बजट प्रावधान
में से की जावेगी ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



॥ एस०के० तिवारी ॥
अवर सचिव

पू०क्र० 4-2/90/दो-ए॥3॥

भोपाल, दिनांक 3-11-90

प्रतिलिपि :-

1. पंजीयक, उच्च न्यायालय, जबलपुर.
2. अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग, इन्दौर.
3. राज्यपाल के सचिव, भोपाल,
4. सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल.
5. सचिव, मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग की ओर बूक आफ फायनेन्सियल
पावर, 1983 वाल्युम-1 में आवश्यक संशोधन हेतु /
6. सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य विभाग,
7. अवर सचिव ॥अधीक्षक ॥ मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग,
8. मुख्य लेखाधिकारी, मध्य प्रदेश सचिवालय, भोपाल,
9. अवर सचिव ॥स्थापना॥ मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग,
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्ररिक्त ।


॥ एस०के० तिवारी ॥
अवर सचिव

दासगुप्ता 31.10.90